सुधार या बाजार ?

(अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा मध्यप्रदेश में किये जा रहे पानी के बाजारीकरण के प्रमुख मुद्दे)

रेहमत

मंथन अध्ययन केन्द्र का प्रकाशन

सुधार या बाजार ?

Sudhar Ya Bazar (Hindi)

लेखन - रेहमत
सहयोग - मनीष, नीलेश और
श्रीपाद धर्माधिकारी

प्रकाशक

मंथन अध्ययन केंद्र,
दशहरा मैदान रोड़,
बड़वानी (**म॰ प्र॰**) 451551
फोन - 07290 - 222857
manthan_b@sancharnet.in
manthan.kendra@gmail.com

प्रथम आवृति - जनवरी, 2005

प्रतियां - 500

सहयोग राशि - 5 रूपये मात्र
(केवल निजी वितरण हेतु)

आवरण पृष्ठ - भारत में निजीकरण के शुरूआती वर्षों (अप्रैल 1991) में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को आकर्षित करने हेतु प्रकाशित पुस्तिका *India's Electricity Sector-Widening Scope for Private Sector Participation* का कवर पेज।

इस पुस्तिका पर कोई कॉपीराईट नहीं है। इसकी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्रोत का उल्लेख करने पर प्रसन्नता होगी।

मंथन अध्ययन केंद्र

"मंथन अध्ययन केन्द्र" ऊर्जा, बिजली तथा पानी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन, विश्लेषण तथा इन क्षेत्रों की गतिविधियों का सतत् आंकलन करता है। वैश्वीकरण और निजीकरण के चलते इन क्षेत्रों में हो रहे बदलावों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा अध्ययन मुख्यतः पानी और ऊर्जा के सवालों पर केन्द्रित होकर समता, न्याय और स्थाई विकास के संदर्भ में है।

'मंथन' में वैश्वीकरण-निजीकरण की प्रक्रिया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बदलती भूमिका, बदलते कानूनी ढाँचों से बदले परिवेश में पानी, ऊर्जा, बड़े बाँध, निजीकरण तथा इन क्षेत्रों के विकल्पों पर अध्ययन जारी है। हमारे यहाँ इन मुद्दों से संबंधित दस्तावेज, पुस्तकें, अखबारों की कतरनें, पत्रिकाएँ आदि भी विषयवार वर्गीकृत करके रखी गई हैं। फिलहाल दो मुद्दों पर विशेष अध्ययन जारी है - पहला, पानी के क्षेत्र में निजीकरण और दूसरा, भाखड़ा-नंगल परियोजना की वास्तविक लाभ-हानि।

'मंथन' के विभिन्न संघर्षो, जन आंदोलनों, सामाजिक संस्थाओं, अध्ययन केन्द्रों आदि के साथ निकट और जीवंत संपर्क है।

टीप - **'मंथन अध्ययन केन्द'**, मंथन रिसर्च एण्ड सोश्यल डिवेलपमेंट सोसायटी, 23/12, एम॰जी॰ रोड़, बड़वानी (रजि. नं॰ - आईएनडी/5753/2001) के अंतर्गत कार्यरत है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों की शह पर

मध्यप्रदेश में पानी का बाजारीकरण

विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोश की नीतियों के तहत दुनियाभर में बाजारीकरण की प्रक्रिया जारी है। बाजारीकरण से अब जीने के जरूरी संसाधन भी मुक्त नहीं रह गये हैं बल्कि इन्हीं पर बाजार को केंद्रित किया जा रहा है ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। कुछ दिनों पूर्व तक जब हम पानी के निजीकरण की बात सुनते थे तो आश्चर्य होता था कि कोई हमारे जलस्रोतों - नदी-नालों, कुएं-बावड़ियो - को कैसे नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अब इस बात की संभावना है कि बहुत जल्द ही हमें भी इस दुःखद दौर से गुजरना पड़ेगा। मध्यप्रदेश में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 20 करोड़ डॉलर (900 करोड़ रूपये) और विश्व बैंक से 39.6 करोड़ डॉलर (1782 करोड़ रूपये) के कर्ज प्रदेश को इसी दिशा में धकेलने वाले हैं। विश्व बैंक और एडीबी जैसी वित्तीय एजेंसियां केवल कर्ज नहीं देती बल्कि कर्ज के साथ अनावश्यक शर्तें भी थोपती हैं। इनकी प्रमुख शर्त होती है कि संबंधित सरकारें 'सुधार' की नीति पर चलें जिसका अर्थ है-सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण और बाजारीकरण। यही शर्त इन कर्जों में भी थोपी गई है।

पृष्ठभूमि

भारत एडीबी से 1986 से कर्ज लेता रहा है। बैंक द्वारा सन् 2001 के अंत तक 60 अलग-अलग कर्जों के रूप में 1030 करोड़ डॉलर (करीब 46,530 करोड़ रूपये) स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त 7.3 करोड़ डॉलर के 141 अन्य कर्ज/अनुदान भी स्वीकृत किये गये जिनमें से अधिकांश सलाहकारी अध्ययनों से संबंधित है। वर्तमान में एडीबी के 29 कर्ज स्वीकृत तथा 18 प्रस्तावित है। बैंक द्वारा भारत को वर्ष 2004-07 के लिए 210 करोड़ डॉलर (9450 करोड़ रूपये) तक सालाना कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। इन नये कर्जों में जल विद्युत परियोजनाएँ तथा शहरी ढाँचागत विकास के कर्ज पानी से सीधे संबंध रखने वाले हैं। इन कर्जों का मुख्य लक्ष्य भी 'नीतिगत एवं ढाँचागत सुधार' तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। एडीबी ने अपनी जलनीति 'वाटर फॉर आल' में सरकारों को नसीहत दी है कि वे ''सेवा प्रदाता के बजाय नियामक की भूमिका ग्रहण करें।'' इसके माध्यम से सरकारों

को स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब 'सेवा' का कार्य निजी कंपनियों के भरोसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

निजीकरण को आगे धकेलने वाला एक प्रमुख दारोगा विश्व बैंक है। विश्व जल आयोग के अनुसार विकासशील देशों का पानी क्षेत्र में सालाना निवेश 7000 करोड़ डॉलर (3,15,000 करोड़ रूपये) हैं तथा जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसे सन् 2005 तक बढ़ाकर 18000 करोड़ डॉलर (8,10,000 करोड़ रूपये) सालाना करना होगा। विश्व बैंक के एजेण्डे के अनुसार यह निवेश निजी क्षेत्र से आयेगा क्योंकि विश्व बैंक की जल संसाधन रणनीति ''वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुगम बनाने'' की वकालत करती है। इसी दस्तावेज में स्वीकार किया गया है कि पिछले वर्षों में पानी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी हेतु विश्व बैंक और आईएफसी द्वारा सहायता बढ़ाई गई।

इस समय भारत में विश्व बैंक के कर्जों से 66 परियोजनाएँ जारी है तथा वित्त वर्ष 2005 के लिए 390 करोड़ डॉलर, 2006 के लिए 360 करोड़ डॉलर, 2007 के लिए 420 करोड़ डॉलर और 2008 के लिए 375 करोड़ डॉलर के कर्ज दिये जाने प्रस्तावित हैं।

पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार ने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन 1000 रूपये मासिक में शिक्षक और पंचायतकर्मियों को नियुक्त कर तत्कालीन सरकार ने दुनिया भर में वाहवाही लूटी। इन्हीं वर्षों में पहली बार बता कर कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां नाकारा साबित हो चुकी है तथा पानी और ऊर्जा क्षेत्र सरकार के लिए घाटे का सौदा बन गया है, इनके पुनरूद्धार की योजनाएं बनाई गई। कर्मचारियों की नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई। विस्थापितों के लिए 'आदर्श' पुनर्वास नीति घोषित कर दी गई। वेट (नई कर प्रणली) लागू करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों ने पूरी ताकत लगा दी।

लेकिन वास्तव में प्रदेश में इस क्रांति का सारा श्रेय एशियाई विकास बैंक को जाता है, जिसने 1999 में सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन (Public Resource Management) हेतु कर्ज (IND -1717) स्वीकृत करते समय उपरोक्त शर्तें थोपी थी। कर्ज की कोई भी किश्त प्राप्त करने हेतु पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी था। एडीबी द्वारा इस कर्ज की तीसरी किश्त जारी करने के पूर्व किये गये मूल्यांकन की रपट में कहा है कि कर्ज की शर्तों का पालन करने में मध्यप्रदेश ने बहुत ही उत्साह दिखाया है। तीसरी किश्त हेतु निर्धारित कुल 13 में से 9 शर्तों का पालन पूरी तरह कर लिया है जबकि 3 शर्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, सिर्फ 1 शर्त

आंशिक रूप से पूर्ण हुई है। रपट में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रोड़ टेक्स में वृद्धि करने, टोल रोड़ के विस्तार करने, मुफ्त बिजली समाप्त करने, किसानों के लिए बिजली महंगी करने, कर्मचारियों की नई भर्ती बंद करने, 9,700 कर्मचारियों की छंटनी करने, छंटनी किये गये कर्मचारियों को दूसरे विभाग में समायोजित न करने, निम्न वेतन पर शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा सार्वजनिक निगमों को बंद करने या उनके निजीकरण पर सरकार को शाबाशी देते हुए 7.5 करोड़ डॉलर की तीसरी किश्त स्वीकृत करने की अनुसंशा की थी।

विश्व बैंक ने भी 'मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना' में प्रदेश द्वारा शर्तों के पालन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में मध्यप्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अब तक देश में सबसे अधिक सिंचाई दरें घोषित कर सिंचाई परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद बनाने की दिशा में कदम उठाया है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन कानून 1999 के तहत 466 बड़ी, 158 मध्यम और 846 छोटी योजनाओं को जल उपभोक्ता समूहों को सौंप दिया है।

वित्तीय एजेंसियाँ अपनी शर्तों को शर्त कहना पाप समझती हैं। जबरन थोपी गई शर्तें भी उनके अनुसार संबंधित सरकारों द्वारा उन्हें दिये गये आश्वासन हैं।

ये तो कुछ उदाहरण मात्र है। दरअसल पिछले कुछ सालों में एडीबी और विश्व बैंक ने अलग-अलग कर्जों के माध्यम से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के कई हिस्सों पर अपना शिकंजा कस लिया है। बिजली और सड़क के बाद अब बारी है पानी की। एडीबी द्वारा दिया गया 'मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार' कर्ज एवं विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 'मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना' कर्ज भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार योजना

एडीबी के 'मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार' नाम के इस कर्ज से प्रदेश के 4 शहरों - इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर - में जलापूर्ति एवं जल-मलनिकास तंत्र का नियोजन-प्रबंधन, सुदृढ़ीकरण कर इसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और स्थायी बनाने का दावा किया गया है। कुल योजना खर्च 30.35 करोड़ डॉलर में 20 करोड़ डॉलर एडीबी से कर्ज के रूप में मिलेंगे तथा शेष राशि प्रदेश सरकार तथा संबंधित शहरों को खर्च करनी पड़ेगी। पहले इस योजना में रतलाम और उज्जैन शहर भी शामिल थे लेकिन अब जानकारी मिली है कि एडीबी की शर्तें मंजूर नहीं होने के कारण इन नगरनिकायों ने खुद को इस कर्ज से अलग कर लिया है।

योजना की आर्थिक व्यवस्था

निवेश करने वाली संस्थाएँ	राशि		प्रतिशत
	करोड़ डॉलर	करोड़ रूपये	
एडीबी	20	900	65.90
म०प्र० सरकार	5.06	227.7	16.67
लाभांवित शहर	5.24	235.8	17.27
यू०एन० हेबीटेट	0.05	2.25	0.16
योग	**30.35**	**1365.75**	**100**

25 वर्षों में अदा किया जा सकने वाला यह दीर्घावधि ऋण भारत सरकार द्वारा लिया गया है जिसे प्रदेश सरकार को 70 प्रतिशत कर्ज तथा 30 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जायगा। भारत सरकार प्रदेश सरकार से 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लेगी जबकि उसे बारबार बदलने वाली लंदन इंटर बैंक आफर्ड रेट (LIBOR) के आधार पर पूरी राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। सितंबर 2009 तक की अवधि वाला यह कर्ज (क्रमांक IND - 32254) दिसंबर 2003 में स्वीकृत हुआ।

कर्ज की प्रमुख शर्तें और प्रभाव

सार्वजनिक नलों का खात्मा

एडीबी के अनुसार "पानी अब भगवान की देन नहीं है बल्कि एक ऐसा संसाधन है जिसका सटीक प्रबंधन हो।" बैंक के अनुसार सार्वजनिक जलस्रोतों से 50 फीसदी पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए गैर-राजस्व जल की मात्रा कम करने के नाम पर सार्वजनिक नलों को खत्म करने की गरीब विरोधी शर्त रखी गई है। सिर्फ उन्हीं सार्वजनिक नलों को बहाल रखा जा सकता है जिनका बिल भरने की

एडीबी की शर्त के अनुसार योजना में ठेका देने, निविदा बुलाने और खरीदी हेतु एडीबी द्वारा तय की गई पद्धति अपनानी होगी, जिसके अनुसार -

- 5 लाख डॉलर (2.3 करोड़ रू) से अधिक की खरीदी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय निविदाए बुलानी होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि छोटी खरीददारियों को इकट्ठा कर 5 लाख डॉलर से अधिक की करनी होगी ताकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय निविदाएँ बुलाई जा सके।
- 1 से 5 लाख डॉलर तक की खरीदी बिना निविदा बुलाए सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या फिर स्थानीय निविदाएं बुलाकर की जा सकती है।
- 1 लाख डॉलर से कम की खरीदी के लिए राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया अपनाई जा सकती है लेकिन इसके लिए एडीबी की मंजूरी जरूरी है।

जिम्मेदारी समुदाय की समिति लें।

पैसा वसूली सबसे

एडीबी की शर्तें गरीबों को भी कोई रियायत देने से मना करती है। शर्त के अनुसार जो गरीब परिवार घर में नल कनेक्शन नहीं ले सकते और सार्वजनिक नलों से पानी लेते हैं, उन्हें भी शुल्क देना पड़ेगा। वर्ष 2009 से इंदौर में 4.50 रूपये प्रति घनमीटर तथा शेष शहरों में 3.80 रूपये प्रति घनमीटर की दर से उन पर शुल्क लगाया जायेगा। चूँकि वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे पता चल सके कि सार्वजनिक नलों से किसने कितना पानी लिया इसलिए संभावना यही है कि यहां भी मोबाईल फोन की तरह प्रि-पेड सिम कार्ड वाली व्यवस्था लागू की जायेगी ताकि कार्ड में पैसा खत्म हो जाने पर पानी मिलना स्वतः बंद हो जाये। यदि किसी के पास पैसा नहीं तो उसे पानी भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त सभी नलों में मीटर लगाने, भुगतान के अभाव में नल कनेक्शन काटने का प्रावधान लागू करने तथा अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने की शर्त एडीबी ने रखी है ताकि सभी से बिल वसूला जा सके। योजना में 10 लाख नये उपभोक्ता जोड़े जायेंगे।

करों में वृद्धि

स्थानीय निकायों से जल कर और संपत्ति करों का युक्तियुक्तकरण यानी दरें बढ़ाने की शर्त रखी गई है। केवल इतना ही नहीं किस शहर में कर की दरें कितनी और कब बढ़ायें यह भी बैंक ने ही तय कर दिया है। मसलन परियोजना प्रारंभ होते ही इंदौर और जबलपुर में अमीटरीकृत जलकर 60 रूपये से बढ़कर 150 रूपये प्रतिमाह तथा ग्वालियर में 80 रूपये से 100 रूपये प्रतिमाह हो जायेगा। भोपाल ने

अमीटरीकृत घरेलू जलप्रदाय दरें (रू./माह)

शहर	वर्तमान दर	वित्त वर्ष 2005 की दरें	वित्त वर्ष 2009 की दरें
भोपाल	150*	150	190
ग्वालियर	80	100	127
इंदौर	60	150	190
जबलपुर	60	100	127

*शर्तों का पालन करते हुए कर्ज की घोषणा के पूर्व ही दरें बढ़ाई जा चुकी है।

कर्ज मिलने पहले ही दरें बढ़ा दी है इसलिए वित्त वर्ष 2005 में दर वृद्धि जरूरी नहीं होगी किन्तु आगामी वर्षों में कर्ज की शर्तों के अनुसार दरें बढ़ानी होगी। इसी प्रकार भोपाल, ग्वालियर और जलबपुर में मीटरीकृत दरें 10 घनमीटर तक प्रमिमाह खपत होने पर 5 रू., 20 घनमीटर तक प्रतिमाह खपत पर 7.5 रू. और 20 घनमीटर

प्रतिमाह से अधिक खपत पर 10 रू./घमी की दर से भुगतान करना होगा। यही दरें इन्दौर में क्रमशः 6, 9 तथा 12 रू./घमी होगी। मीटरीकृत व्यवस्था 2006 से लागू हो जायेगी।

संपत्ति कर (property tax) की दरें ग्वालियर में 200 प्रतिशत, जबलपुर में 150 प्रतिशत, भोपाल में 100 प्रतिशत और इंदौर में 50 प्रतिशत बढ़ानी होगी। अप्रैल 2009 और उसके बाद हर 4 साल में इन दरों में पुनः 20 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

एडीबी की सहमति के बगैर कर्ज की किसी भी शर्त को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

नये शुल्क लगेंगे

इसके अतिरिक्त जल-मलनिकासी एवं स्वच्छता शुल्क और लागत वापसी शुल्क (वास्तव में कर्ज वापसी शुल्क) शुरू करने जरूरी होंगें। जल-मलनिकासी एवं स्वच्छता शुल्क की दरें ग्वालियर एवं जबलपुर में पानी के मासिक बिल की 40 प्रतिशत, भोपाल में 30 प्रतिशत एवं इंदौर में 25 प्रतिशत अतिरिक्त होगी। साथ ही वित्त वर्ष 2009 से 'लागत वापसी शुल्क' भी शुरू किया जायेगा। इसे इंदौर में 30 रूपये प्रतिमाह तथा शेष शहरों में 20 रूपये प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा।

गरीब तो वंचित ही रहेगा

'गरीबी में हस्तक्षेप' कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत एडीबी के इस कर्ज से समाज के सबसे गरीब तबके को कोई खास लाभ नहीं होगा। पूरी योजना में गरीबों की तो

मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना

अब तक हुई गतिविधियां

जनवरी 2004 में 'लाभ-निगरानी और मूल्यांकन' तथा 'जनसंपर्क एवं जागरूकता' हेतु सलाहकारों को आमंत्रण (निविदा) जारी किया गया है। निगरानी और मूल्यांकन हेतु कोई भी फर्म, संस्थान तथा स्वयंसेवी संस्था पात्र है, जिन्हें लाभार्थियों के संपर्क में रहते हुए परियोजनाकर्ताओं को उनकी समस्याओं से अवगत कराना होगा। जबकि जनसंपर्क हेतु केवल स्वयंसेवी और समुदाय आधारित पंजीकृत संस्थाओं को पात्र माना गया है। इनका कार्य परियोजनाकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच सेतु का कार्य करते हुए जागरूकता हेतु सामग्री निर्माण करना है। मुंबई की संस्था 'जंक्शन सोश्यल' को जनसंपर्क और जागरूकता का ठेका दिया गया था।

फरवरी 2004 में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ठेकेदारों की योग्यता परीक्षण (प्रि-क्वालिफिकेशन) हेतु टेण्डर जारी किया गया। परियोजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,100 करोड़ रूपये के कोई 50 ठेके (1 करोड़ से 250 करोड़ रूपये के बीच) दिये जाना प्रस्तावित है। ठेकों के तहत जल प्रदाय, मलनिकास, निर्माण कार्य तथा इंदौर हेतु नर्मदा चरण-3 समेत बड़ी जल प्रदाय परियोजनाओं का निर्माण शमिल है।

उपेक्षा ही की गई है। कर्ज दस्तावेज के अनुसार मलिन बस्तियों के निवासियों को सिर्फ यही लाभ होगा कि ये सुविधाएँ उनकी बस्ती की सीमा तक पहुँच जायेगी। 1366 करोड़ रूपये की योजना में से 'क्षेत्र सुधार कोष' और 'समुदाय पहल कोष' नाम से मात्र 31.54 करोड़ (2.31 प्रतिशत) का प्रावधान गरीब बस्तियों के लिए है। जबकि सन् 2001 की जनगणना के अनुसार इन शहरों की मलिन बस्तियों में 24 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर है। इसके विपरीत चन्द सलाहकारों क लिए 77 करोड़ रूपये (5.63 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

2009 में इस योजना के पूरी हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि इसके बाद कर की दरें स्थिर हो जायेंगी। सारे कर और शुल्क वित्त वर्ष 2009 के बाद भी महंगाई से 1 प्रतिशत अधिक दर से बढ़ाये जाते रहेंगें।

कर वसूली में सख्ती

करों की कम वसूली दर से एडीबी बहुत चिंतित हैं इसलिए कर वसूली दर को दो-तीन गुना तक बढ़ाने हेतु कर वसूली विभाग के निजीकरण का सुझाव दे दिया है। योजना की मध्यावधि समीक्षा (योजना प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद) के समय बिल बनाने तथा वसूली का काम निजी कंपनियों को सौंपने पर विचार होगा। ऐसा होने पर गुण्डों के माध्यम से वसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। निजी बैंकों और फायनेंसरों द्वारा जिस तरीके से वसूली की जाती है उससे हम अपरिचित नहीं है। शायद यही प्रक्रिया नगरनिकायों में भी दोहराई जाये।

एक तीर से दो निशाने

वित्तीय एजेंसियां अपने सारे कर्जों की वसूली का ध्यान रखती है। चूँकि म्र०प्र० बिजली क्षेत्र के विखण्डन हेतु भी एडीबी ने ही कर्ज दिया है अतः इस कर्ज की शर्तों में एक शर्त यह भी जोड़ दी गई है कि संबंधित नगरनिकाय म्र०प्र० विद्युत मंडल का पूरा बिल नियमित रूप से चुकाएंगें तथा अप्रेल 2004 के बाद उन पर कोई नया बिल बकाया न रहे।

मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना

विश्व बैंक द्वारा जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना हेतु स्वीकृत कर्ज से भी वही खतरे हैं जो एडीबी कर्ज से हैं। बल्कि इसका दुष्प्रभाव कुछ शहरों तक सीमित न होकर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। 43.9 करोड़ डॉलर की इस योजना में 39.6 करोड़ डॉलर यानी 1782 करोड़ रूपये विश्व बैंक देगी। हालांकि इस कर्ज का उपयोग मुख्यतः पाँच कछारों (चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस) में किया जायेगा लेकिन

इसकी शर्तों के तहत किये जाने वाले नीतिगत बदलावों से पूरे राज्य के जल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव होगा। विश्व बैंक की भाषा में इस ''सुधार'' से यह क्षेत्र पूरी तरह व्यावसायिक होकर निजीकरण की दिशा में बढ़ेगा। इस योजना के प्रभाव दिखाई देने भी प्रारंभ हो गये हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने सिंचाई कानून 'मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम' में संशोधन कर इसे कर्ज की शर्तों के अनुरूप बनाया है। सिंचाई दरों में की जा रही बढ़ौतरी को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

कर्ज की प्रमुख शर्तें और प्रभाव

व्यापारीकरण

बाजारीकरण के प्रमुख सिद्धांत है - पूरी लागत की वसूली, सब्सिडी खत्म करना और पैसा नहीं देने वाले को सेवा से बाहर कर देना। अब पानी क्षेत्र को भी व्यापारिक सिद्धांतों पर चलाया जायेगा। इसका अर्थ है कि जिनके पास पैसा नहीं है वे पानी और सेवा के हकदार नहीं होंगे। विश्व बैंक के अनुसार जल क्षेत्र की बदतर स्थिति का कारण किसानों को दी जा रही भारी सब्सिडी है। विश्व बैंक सब्सिडी को बाजारीकरण के मार्ग में बाधा मानता है तथा इसे खत्म करना चाहता है ताकि कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से 'बेहतर' सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की अधिकांश आम जनता, जिनकी जेब में आवश्यक सेवाओं के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है, का क्या होगा?

जल नियामक आयोग

संचार तथा ऊर्जा क्षेत्र के समान 'जल नियामक आयोग' के गठन की शर्त रखी गई है। यह आयोग राज्य में पानी की थोक दरों का निर्धारण करेगा। खुदरा दरों के बारे में इसकी भूमिका अभी तक तय नहीं है लेकिन जाहिर है खुदरा दरें भी थोक दरों से निर्धारित होंगी। इसका अर्थ यह है कि गरीब और कमजोर तबके के लोग जो चुनाव के माध्यम से 5 वर्षों में केवल एक बार ही नीतिगत मामलों में प्रभाव

विश्व बैंक अपने कर्ज दस्तावेज में कहती है -

''DFID ने मध्यप्रदेश में विश्व बैंक के साथ, विषेशकर क्षेत्र सुधार में, काम करनें की रूचि दिखाई है।''

तथा

''एडीबी एवं DFID जैसे विकास सहयोगियों के प्रयास से मिली ताकत इस परियोजना में शामिल होने (कर्ज देने) का एक बड़ा कारण है।''

डाल पाते है, वे अपने इस अधिकार से भी वंचित हो जायेंगे। जब दर वृद्धि पर सरकार की आलोचना होगी तो वह इसे नियामक आयोग की कार्रवाई बताकर खुद को बेकसूर साबित करने का प्रयास करेगी। बिजली की दरों में बारबार की जा रही वृद्धि पर भी सरकार की यही भूमिका है। कर्ज की शर्तों के तहत एक स्वायत्त संस्था 'राज्य जल संसाधन एजेंसी' का गठन भी प्रस्तावित है।

एडीबी ने कर्ज दस्तावेज में 'जल नियामक आयोग' के गठन के समर्थन में एक कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह भी किया गया है ताकि इस परियोजना में जन समर्थन का प्रदर्शन किया जा सके।

बड़े पैमाने पर छंटनी

विश्व बैंक के अनुसार जल संसाधन विभाग की एक प्रमुख समस्या कर्मचारियों की अधिकता है। विभाग के 20,000 कर्मचारियों में से 4,500 लोगों की पहचान फालतू के रूप में की गई है जिनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति के माध्यम से छंटनी की जायेगी। इस छंटनी से वर्ग 2, 3 और 4 के कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित होंगे। कर्ज शर्तों के तहत इनमें से केवल 1,000 कर्मचारियों की छंटनी का ही आर्थिक प्रावधान किया गया है। शेष कर्मचारियों की व्यवस्था के बारे में यह परियोजना मौन है।

निजीकरण

कर्ज दस्तावेज में जल क्षेत्र के विभिन्न घटकों के निजीकरण की जोरदार वकालत की गई है। प्रांरभिक लक्ष्य 1 मध्यम और 25 छोटी सिंचाई योजनाओं का निजीकरण करना है। जल उपभोक्ता समूह, पंचायतें अथवा निजी कंपनी किसी को

मुद्दे, जिनके बहाने विश्व बैंक कर्ज दे रही है

- पानी की कम उत्पादकता।
- उचित मानव संसाधन का अभाव एवं उनके प्रबंधन कौशल की कमी।
- जल संसाधन के नियोजन, आवंटन, विकास और प्रबंधन हेतु अपर्याप्त ज्ञान और तंत्र।
- विभागों के मध्य समन्वय की कमी।
- **हितग्राहियों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग की कमी** की वजह से बदतर सेवा, भारी सब्सिडी, जवाबदेही की कमी, तंत्र का घटिया प्रदर्शन, राजस्व वसूली में कमी आदि समस्याएं है। आर्थिक दृष्टि से दयनीय सिंचाई विभाग पर्याप्त मरम्मत, प्रभावी संचालन, तंत्र के पुनर्वास, बदलाव या निवेश हेतु पैसा उपलब्ध करवाने में असमर्थ है।
- **विशाल स्थापना लागत** से परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव हेतु विभाग के पास बहुत कम पैसा बचता है।
- **अपर्याप्त आर्थिक संसाधनों** की वजह से उपेक्षित पड़े सिंचाई ढांचों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण तथा सिंचित क्षेत्र के विस्तार में कठिनाई।

भी ये योजनाएं सौंपी जा सकने का उल्लेख है लेकिन स्पष्ट है कि जल उपभोक्ता समूहों और पंचायतों के बस की यह बात नहीं है। अब विकल्प रह जाता है सिर्फ देशी-विदेशी निजीं कंपनियां। जल नियामक आयोग इसी के लिए गठित किया जा रहा है।

जल उपभोक्ता समूह

राज्य में जल उपयोगकर्ता समूह बनाकर कई स्थानों पर जल वितरण कार्य उन्हें सौंपा जायेगा। यह समूह बिल बनाने तथा पैसा वसूलने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। बैंक की इस 'सुधार' प्रक्रिया में जल उपभोक्ता समूह का अर्थ शक्तिसम्पन्न लोग होंगे। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि होगा कि दर वृद्धि से पीड़ित लोगों के गुस्से का सामना सामुदायिक संगठन को ही करना होगा लेकिन लाभ किसी ओर को मिलेगा। अब तक के अनुभव से यही जाहिर हुआ है कि इस व्यवस्था से समुदाय के बीच नये विवाद खड़े हुए हैं।

मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना

प्रमुख घटक

घटक अ एवं ब

संस्थाएँ और कानून निर्माण

(32.71 एवं 172.57 करोड़ रूपये)

- इसके तहत पूरे प्रदेश में अधिकतम जल संसाधन प्रबंधन सहित जल आवंटन हेतु एक संस्था 'राज्य जल संसाधन एजेंसी' (SWRA) का गठन किया जायेगा।
- स्वायत्त 'राज्य जल नियामक आयोग' बनाया जायेगा जो तर्कसंगत थोक जल दरें तय करेंगा ताकि जल क्षेत्र को आर्थिक स्वावलंबी बनाया जा सके।
- 'सिंध बेसिन डेवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट बोर्ड' तथा 'टोंस बेसिन डेवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट बोर्ड' बनाया जायेगा।
- आर्थिक सक्षम (financially viable) संस्थाओं द्वारा तर्कसंगत दरों पर विश्वसनीय सिंचाई उपलब्ध करवाना। (जिस प्रकार'तर्कसंगत दर' शब्द का इस्तेमाल दरों को बढ़ाने हेतु किया जाता है। इसी तरह 'आर्थिक सक्षम' संस्था बनाने का अर्थ लागत की पूर्ण वसूली से है।)

घटक स

उत्पादकता बढ़ाना

(1,746.40 करोड़ रूपये)

- तंत्र का प्रदर्शन सुधारना, लागत वसूली तथा सेवाप्रदाता की जवाबदेही सुनिश्चित करना, सिंचाई तंत्र से विश्वसनीय जल उपलब्धता।
- परिणाममूलक सोच के साथ एकीकृत कृषि विस्तार एवं फसल विविधता।
- सहभागी उपयोगकर्ता प्रबंधन एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से सिंचाई/जलनिकास योजनाओं के क्रियांवयन एवं प्रबंधन को विकसित करना।

घटक द

(24.84 करोड़ रूपये)

- परियोजना प्रबंधन में सहायता

सलाहकारी कार्य

बैंक के अपने तरीके के अनुसार इस कर्ज में भी बड़े पैमाने पर सलाहकारी ठेकों का प्रावधान है। इसमें से कुछ, विशेषकर सुधार से संबंधित, ठेके विदेशी सलाहकारों को दिये जाने की संभावना है। बैंक के लिए सलाहकार कितने महत्वपूर्ण है यह इस तथ्य से साबित होता है कि 1,000 कर्मचारियों की छंटनी के लिए मात्र 58.5 करोड़ रूपये का बजट है जबकि चंद सलाहकारों के लिए 98 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

DFID की भूमिका

इस कर्ज में ब्रिटिश एजेंसी DFID की महत्वपूर्ण भूमिका रही है या अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि यह कहें कि उसने इस कर्ज को स्वीकृत करवाने का हरसंभव प्रयास किया। इस योजना की तैयारी (अध्ययन) हेतु उसने विश्व बैंक को DFID ने 1 लाख 18 हजार डॉलर का अनुदान दिया। इस राशि से परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यांकन का ठेका ली एसोसिएट्स एशिया प्रायवेट लिमिटेड को दिया गया था।

मध्यप्रदेश में 'पानी क्षेत्र विकास' के अध्ययन हेतु DFID ने एडीबी को भी 10 लाख डॉलर की सहायता दी थी। एडीबी ने यही राशि मध्यप्रदेश सरकार को दे दी। मध्यप्रदेश सरकार ने इस अध्ययन का ठेका इंग्लेण्ड की सलाहकार कंपनी HALCROW को दे दिया। इससे एक ओर तो इंग्लेण्ड का पैसा घूमफिर कर वापस इंग्लेण्ड पहुंच गया तथा दूसरी और HALCROW रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर विश्व बैंक ने 'मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना' हेतु कर्ज स्वीकृत कर दिया।

बाजारीकरण के प्रमुख परिणाम

अपराधीकरण

वित्तीय एजेंसियों की कोशिश है कि सरकारी कल्याण कार्यक्रम भी बाजार के हिसाब से फायदे का धंधा होना चाहिए ताकि इन्हें फिर निजी कंपनियों को मुनाफे हेतु सौंपा जा सके। इसीलिए इन दोनों कर्जों में भी जल क्षेत्र को फायदे का धंधा बनाने तथा उसके निजीकरण की वकालत की गई है।

यदि कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापार बनाया जायेगा तो फिर वसूली भी लठैतों से होने की संभावना है। पिछले दिनों एक मोबाईल कंपनी ने मध्यप्रदेश में अपना 100 करोड़ बकाया वसूलने हेतु एक गिरोह को 2 करोड़ में ठेका दे दिया

था। इसका पर्दाफाश गिरोह द्वारा एक बकायादार का अपहरण कर लेने पर हुआ था। वसूली का यही सिद्धांत यहां भी लागू किया जाये तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण है जब बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों ने अपने लाभ सुनिश्चित करने हेतु भ्रष्ट और आपराधिक गतिविधियां की है जिसके लिए उन्हें सजा भी हो चुकी है। फ्रांस के तत्कालीन संचार मंत्री केरिंगनन तथा स्वेज लियोनेज के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेने तथा देने के आरोप में क्रमशः 4 और 1 वर्ष की सजा हुई। अफ्रीकी देश लिसोथो में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाड़ा और स्वीटजरलेण्ड की एक दर्जन से अधिक कंपनियों को वहां एक नदी घाटी परियोजना का ठेका हासिल करने हेतु रिश्वत देने के आरोप में दण्डित किया जा चुका है।

सब्सिडी का खात्मा

कल्याणकारी सरकारों द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए गरीब लोगों को दी जा रही सब्सिडी विशेषकर क्रास सब्सिडी वित्तीय संस्थाओं को फूटी आँखों नहीं सुहाती। सरकारें प्रायः कल्याण कार्यक्रमों के लिए क्रास सब्सिडी का इस्तेमाल करती है। इसमें सक्षम उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की जाती है ताकि वंचित वर्गों को कम दरों पर भी वही सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन निजी कंपनियाँ अपने संपन्न उपभोक्ताओं से अधिक वसूल कर उन्हें नाराज नहीं करना चाहती है बल्कि वसूली में पूरी तरह

निजीकरण में अन्य संस्थाओं की भूमिका

सलाहकार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विकसित देशों, वित्तीय एजेसिंयों और सलाहकार फर्मों की कुटिल गठजोड़ कार्यरत् है जिनमें सलाहकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वित्तीय एजेंसियां की मनमाफिक सलाह देने वाले सलाहकारों का वित्तीय एजेंसियां बहुत खयाल रखती है। अपनी गतिविधियों में इन्हें भी प्रमुखता से भागीदार बनाते हुए कर्जों में ही सलाहकारों के लिए प्रावधान कर दिये जाते हैं।

तथाकथित विकास एजेंसिया

बाजारीकरण की इस गठजोड़ का हिस्सा विकसित देशों की तथाकथित विकास एजेंसियां भी है। इंग्लेण्ड की DFID एवं कनाड़ा की CIDA जैसी विभिन्न देशों की विकास एजेंसियों की भूमिका भी निजीकरण बढ़ाने वाले दलालों की हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र

इस गिरोह में अब संयुक्त राष्ट्र को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका परियोजनाओं में निवेश तो नाममात्र का लेकिन बड़े रणनैतिक महत्व का होता है। 'म॰प्र॰ शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार योजना' में 5 लाख डॉलर (योजना खर्च का मात्र 0.16 प्रतिशत) निवेश कर यह महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। पिछले दिनों भोपाल में इस कर्ज के संबंध में हुई बैठक का निमंत्रण पत्र भी यू॰एन॰ हेबिटेट द्वारा ही भेजा गया था।

समानता चाहती है।

भारत संचार निगम लिमिटेड निजी दूरसंचार कंपनियों से एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) वसूल करती है ताकि सक्षम उपभोक्तओं से वसूली गई राशि का उपयोग कम लाभ वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में किया जा सके। लेकिन हाल ही में दूरसंचार नियामक आयोग ने एडीसी काफी कम करवा दिया है। इसका प्रभाव यह होगा कि सक्षम शहरी वर्ग के लिए दूरसंचार सुविधाएँ सस्ती हो जायेगी लेकिन ग्रामीण अंचल में इस सुविधा भाव बढ़ेंगे तथा इसका विस्तार धीमा हो जायेगा। एडीबी की शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश में विद्युत क्षेत्र से सब्सिडी कम करने के कारण पिछले 2 वर्षों में किसानों और कमजोर वर्गों के लिए बिजली 6 गुना तक महंगी कर देने पर वित्तीय ऐजेंसियों ने प्रदेश सरकार को शाबासी दी है। विश्व बैंक ने सब्सिडी को जलक्षेत्र की एक प्रमुख समस्या बताया है।

देश की संप्रभुता पर खतरा

देश या राज्य में कौनसा कानून बने और कब बने यह तय करना संसद और विधानसभाओं का विशेषाधिकार है लेकिन यह काम अब वित्तीय एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। विश्व बैंक ने कर्ज के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह दिसंबर 2005 तक जल नियामक आयोग के गठन हेतु कानून का प्रारूप तैयार कर ले। केन्द्र और विभिन्न राज्यो के 'ऊर्जा सुधार कानून' और जल नीतियाँ ऐसी ही शर्तों के तहत बनी हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और देश की संप्रभुता पर भयानक आघात है तथा निजी कंपनियों की सर्वोच्च सत्ता का प्रमाण है। मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों की छंटनी, घरेलू पानी और सिंचाई दरों और संपत्ति करों में वृद्धि आदि इन्हीं कर्जों की शर्तों के तहत की जा रही है। वित्तीय एजेंसियों की सहमति के बगैर इन शर्तों में संशोधन नहीं करने की

अंतर्राष्ट्रीय साहूकारों ने अब अनेक आकर्षक मुखौटे तैयार कर लिए हैं। ये मुखौटे अध्ययनों के नाम पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष निजीकरण को हर मर्ज की दवा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही विश्व बैंक के प्रभाव वाला एक मुखौटा - पब्लिक प्रायवेट इंफ्रास्ट्रक्चर एडवायजरी फेसिलिटी (PPAIF) है। वैसे तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय विकास एजेंसियों का साझा गठबंधन है लेकिन इसका पता-ठिकाना वही है जो विश्व बैंक मुख्यालय का है।

अध्ययनों के निष्कर्ष मनमाफिक आये इस हेतु विश्व बैंक द्वारा तैयार मागदर्शिका के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। हाल ही में इस मुखौटे द्वारा 10 लाख की आबादी वाले मुंबई नगरनिगम के एक वार्ड में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के निजीकरण हेतु सलाहकारों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहां भी सलाहकारों की नियुक्ति विश्व बैंक ही करेगा।

शर्त भी इसी श्रेणी में आती है।

कई बार तो ऐसे कानूनों का मसौदा तैयार करने का ठेका भी विदेशी सलाहकारों को देने हेतु सरकारों पर दबाव डाला जाता है। दिल्ली की प्रदेश सरकार ने जल कानून का प्रारूप बनाने का ठेका विदेशी सलाहकार कंपनी को दिया था। केवल इतना ही नहीं अब तो विदेशी सलाहकार कंपनियाँ योजना आयोग समेत सरकारी विभागों में औपचारिक/अनौपचारिक सलाहकार बन गई है।

नाम गरीबों का, काम पैसा बनाने का

मध्यप्रदेश के शहरों में 38 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते है, जो कि 24 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। इसलिए एडीबी ने अपने 'गरीबी में हस्तक्षेप' कार्यक्रम के अंतर्गत तथा विश्व बैंक ने अपनी 'राष्ट्र सहायता रणनीति' के तहत प्रदेश को ये कर्ज स्वीकृत किये हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इनसे गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। एडीबी ने बड़े गर्व से स्वीकार किया है कि परियोजना से मलिन बस्तियों में रहने वाले अत्यंत गरीब तबके के लोगों को सिर्फ यह लाभ होगा कि उनकी बस्तियों की सीमा तक पानी पहुंच जायेगा। विश्व बैंक का कर्ज सिंचाई दरें बढ़ाकर छोटे किसानो को इस व्यवस्था से स्वतः बाहर कर देगा।

बाजारीकरण निर्दयी महाजन की तरह किसी को कोई रियायत नहीं देता। एडीबी की शर्त के अनुसार प्रत्येक परिवार को 2000 रूपये खर्च करके नल कनेक्शन लेना होगा। लेकिन जो गरीब परिवार घर में नल कनेक्शन नहीं ले सकते और सार्वजनिक नलों से पानी लेते हैं, उन्हें भी घनमीटर के हिसाब से कर देना पड़ेगा।

स्थानीय जल संसाधनों की उपेक्षा

दोनों कर्जों का सबसे दुःखद पहलू यह है कि जल उत्पादकता बढ़ाने का ढिंढोरा पीटने वाली योजनाओं में कहीं भी स्थानीय जल संसाधनों के विकास का कोई जिक्र नहीं है। सुस्त कर्मचारियों को चुस्त बनाने का कोई कार्यक्रम प्रारंभ करने की बजाय उनकी छुट्टी को ही अंतिम विकल्प बताया गया है। इन कर्जों की परियोजनाओं में या तो सिर्फ वर्तमान में जारी व्यवस्था के ही 'सुधार' की बात कहीं गई है या फिर भारी लागत लगाकर दूर-दूर से पानी लाने वाली बड़ी योजनाओं की। कुल मिलाकर इस सारे मुद्दे को सिर्फ वित्तीय या प्रबंधन की समस्या तक ही सीमित कर दिया गया है। एक स्थान के लिए दूसरे स्थान से पानी लाते समय इस बात का विचार तक नहीं किया है कि इससे उस समुदाय पर क्या असर पड़ेगा जिसके हिस्से का पानी लिया जा रहा है।

वास्तव में ये योजनाएं निजीकरण का प्रथम सोपान है। इस योजना का मकसद पानी के क्षेत्र को फायदे का धंधा बनाना मात्र है। घाटे के धंधे में तो कोई कंपनी 'सेवा' के लिए तैयार नहीं होगी। एक बार जब धंधा चल जायेगा तो निजीकरण के लिए कंपनियों की कमी कहां? पानी बेचने का काम देशी-विदेशी कम्पनियो को सौंप दिया जायेगा। एडीबी के अनुसार आखिर पानी अब कोई 'भगवान की देन' तो रहा नहीं।

संदर्भ

- मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना संबंधी दस्तावेज -
  - Project Information Document (PID) Appraisal
  - Executive Summary
  - Project Appraisal Document
  - Environmental And Social Assessment Report
  - Social And Environment Management Framework
- The World Bank In India, November, 2004
- World Bank; Country Strategy For India, Sep. 15, 2004
- ADB; *Madhya Pradesh Water Sector Restructuring Project And Recommendation of The President To The Board of Director on A Proposed Loan To India For Urban Water Supply And Environment In Madhya Pradesh*, November 2003
- *Privatzation of Rivers in India,* अरूण कुमार सिंह, विकास अध्ययन केन्द्र प्रकाशन, मुंबई
- पानी के कुबेर, इंसाफ प्रकाशन, नई दिल्ली
- पूंजी के निशाने पर पानी, इंसाफ प्रकाशन, नई दिल्ली
- समाजवादी जन परिषद के महामंत्री श्री सुनील भाई द्वारा एडीबी कर्ज पर की गई टीका।
- *Water: Private Limited,* श्रीपाद धर्माधिकारी, मंथन प्रकाशन, बड़वानी (म॰प्र॰)
- *Multilateral Development Bank Investment in India,* Bank Information Center, Washington DC, January 2005
- एडीबी के अन्य दस्तावेज -
  - शहरी जल एवं स्वच्छता परियोजना एवं एकीकृत जल प्रबंधन रणनीति के तहत दी कई तकनीकी सहायता संबंधी
  - सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन कर्ज से संबंधी
  - मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार योजना से संबंधित अखबारी खबरें, टेण्डर नोटिस इत्यादि।

पानी के निजीकरण के कुछ प्रयोग और उसके परिणाम

एशियाई विकास बैंक ने स्वयं मनीला, जकार्ता, कराची, कालंबो आदि एशिया के दस शहरों का एक अध्ययन करवाया था, जहां या तो जल आपूर्ति का निजीकरण हो चुका था या संभावित था। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष है कि निजीकरण की सफलता पर अभी निर्णायक रूप से कुछ नही कहा जा सकता है। साथ ही यह भी सामने आया कि अध्ययन में शामिल सभी शहरों में पानी की दरें बहुत बढ़ी, अधिकांश शहरों में निजीकरण की प्रक्रिया खुली व पारदर्शी नहीं थी। कुछ शहरों में सरकारों और निजी कंपनियों के बीच अनुबंध की शर्तो को लेकर गंभीर विवाद पैदा हुए। ज्यादातर मामलों में निजीकरण उपभोक्ताओं और सरकार द्वारा बेहतर व टिकाऊ सेवाओं के लिए नहीं बल्कि कर्जदाताओं व ठेकेदारों की चाहत के कारण हुआ। कुछ उदाहरण –

■ फिलीपीस की राजधानी मनीला में पानी के निजीकरण को एडीबी द्वारा सफल माडल के रूप में पेश किया जाता है। 1997 में मेनिलाड नामक कम्पनी (जिसमें प्रमुख भागीदारी फ्रांस की सुएज कंपनी, जो पानी के धंधे में दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है, की थी) ने पानी आपूर्ति का ठेका लेते समय आश्वासन दिया था कि वह सरकारी कंपनी की 8.78 पेसो प्रति घनमीटर की जल दर के मुकाबले 4.96 पेसो की दर पर पानी उपलब्ध कराएगी। लेकिन ठेका मिलने के बाद मेनिलाड ने जल दरें 15.46 पेसो तक बढ़ा दी। फिर कंपनी ने 30 पेसो घनमीटर की मांग की लेकिन जब दरें 26.27 पैसो तक ही बढ़ाने की इजाजत मिली, तो कंपनी ने दिसंबर 2002 में अनुबंध तोड़ दिया और परियोजना से हाथ खींच लिया। कम्पनी द्वारा लिया गया कर्ज सरकार के माथे आ पड़ा। केवल इतना ही नहीं मेनिलाड ने पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय चेम्बर आफ कामर्स के पंचाट में फिलीपींस सरकार के खिलाफ 1500 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का दावा ठोक दिया। मात्र पांच साल में ही पानी के निजीकरण की आदर्श योजना धराशायी हो गई।

■ वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह शहर में पानी के वितरण का काम तो सरकारी कंपनी के हाथ में है, लेकिन एशियाई विकास बैंक के कर्ज व निर्देशन में पानी आपूर्ति के तीन बड़े ठेके बीओटी पद्धति से निजी कंपनियों को दिलवाए गए हैं जिनमें सबसे बड़ा ठेका फ्रांस की सुएज कम्पनी को बिना निविदा बुलाए दिया गया। इन कंपनियों द्वारा प्रदाय पानी हो ची मिन्ह शहर की सरकारी कंपनी उपयोग करने की स्थिति में अभी नही है, क्योंकि वितरण क्षमता बढ़ाने पर एशियाई विकास बैंक ने कोई ध्यान नही दिया है। किन्तु कर्ज की शर्त के अनुसार पानी लें या न लें विशाल भुगतान तो विदेशी कम्पनियों को करना ही पड़ेगा, जिससे सरकारी कंपनी का दिवाला

निकल जाएगा। दूसरी ओर, निजीकरण से पानी की दरें सात गुनी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की विवादास्पद एनरॉन बिजली परियोजना में भी इसी प्रकार की शर्तें थी जिसके कारण यह परियोजना बंद करनी पड़ी।

■ 1999 में लेटिन अमेरिकी देश बोलिविया के कोचाबांबा शहर में पानी के निजीकरण का प्रयोग किया गया। इसके तहत एगुअस डेल तुनारी नामक कंपनी, जिसका नेतृत्व अमेरिकी कंपनी बेक्टेल कर रही थी, को 40 वर्ष के रियायत अनुबंध पर पूरा जलप्रदाय तंत्र सौंप दिया गया। अनुबंध के तहत कंपनी को जिले के समस्त जलस्रोतों यहां तक कि सहकारी जल आपूर्ति तंत्र, ट्यूबवेल जैसे साझे जलस्रोतों पर भी मीटर लगाने तथा मीटर के पैसे वसूलने का अधिकार मिल गया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी ने पानी के दाम दुगने और फिर तिगुने कर दिये। बाद में इतने दाम बढ़ा दिये कि एक मजदूर परिवार को औसतन अपनी कमाई का एक चौथाई हिस्सा पानी का बिल चुकाने में खर्च करना पड़ता था। बिल नहीं चुकाने पर कंपनी ने कनेक्शन काट दिये। इससे लोग सड़कों पर उतर आये। जन-आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सेना बुला ली। इस पानी युद्ध में अप्रेल 2000 में विक्टर ह्यूगो डाजा नामक एक किशोर मारा गया। इसके बाद आक्रोश भड़का और कंपनी को देश छोड़ना पड़ा। अब विदेशी कंपनी के खिलाफ शुरू हुए जन संगठन 'ला कोआर्डिनाडोरा' ने वहां के जल व्यवस्था के संचालन की चुनौती स्वीकार की है। जन जन संगठन का मकसद उचित दरों पर पानी मुहैया कराने वाली जवाबदेह तथा लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाना है।

मंथन अध्ययन केंद्र के अन्य प्रकाशन

Water : Private Limited

(पानी के निजीकरण की प्रक्रियाओं और इसके समाज पर पड़े प्रभावों की पड़ताल)

सहयोग राशि : 20 रूपये

रहिमन पानी बिक रहा सौदागर के हाथ

(Water : Private Limited का हिन्दी अनुवाद)

सहयोग राशि : 10 रूपये

बड़े बांधों का लेखा-जोखा

(बड़े बांधों के विकास पर पड़े प्रभावों के अध्ययन की संक्षिप्त रपट)

सहयोग राशि : 5 रूपये

कस्बे का पानी

(पानी से मालामाल कस्बे के बेपानी होने की कहानी)

सहयोग राशि : 20 रूपये

विश्व बैंक के जल क्षेत्र में कुछ प्रमुख कर्ज

क्रमांक	परियोजना	स्वीकृति वर्ष	राशि	
			मिलियन डॉलर	करोड़ रूपये
1.	बांध पुनर्वास एवं सुधार	प्रस्तावित	50	575
2.	हाईड्रोलॉजी प्रोजेक्ट - II	अगस्त, 2004	105	472.5
3.	मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना	सितंबर, 2004	394	1773
4.	मध्यप्रदेश DPIP	नवंबर, 2002	110.1	495.5
5.	उत्तरांचल विकेन्द्रित जलागम विकास	मई, 2004	69	310.5
6.	उत्तरांचल ग्रामीण जलप्रदाय एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	प्रस्तावित	100	450
7.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार	प्रस्तावित	300	1350
8.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलप्रदाय एवं स्वच्छता परियोजना	2004	181	814.5
9.	कर्नाटक शहरी जलक्षेत्र सुधार	अप्रैल, 2004	39.5	177.8
10.	कर्नाटक समुदाय आधारित तालाब प्रबंधन	अप्रैल, 2002	98.8	444.6
11.	कर्नाटक जलागम विकास	2001	100.4	451.8
12.	कर्नाटक ग्रामीण जलप्रदाय और स्वच्छता	2002	151.6	682.2
13.	तमिलनाडु ग्रामीण जलप्रदाय और स्वच्छता	प्रस्तावित	50	675
14.	तमिलनाडु जल संसाधन सुदृढ़ीकरण	जून, 1995	282.9	1273
15.	उत्तरप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना	फरवरी, 2002	149.2	671.4
16.	उत्तरप्रदेश जलागम विकास	2004	69.6	313.2
17.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना	फरवरी, 2002	140	630
18.	पर्वतीय क्षेत्र जलागम विकास	1999	135	607.5
19.	उड़ीसा जल क्षेत्र पुनर्रचना एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना	1996	290.6	1307.7

*इनके अतिरिक्त कृषि, शहरी विकास, वन और जैव–विविधता संबंधी कर्ज पानी से संबंध रखने वाले हैं।